प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंसकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 10 सितम्बर, 2021**

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजस्व मद में अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि रू0-59.80 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद संतकबीर नगर में स्थापित लोहिया पर्यावरणीय पार्क के अधूरे कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि रू0-45.77 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-54/बजट/2021-22, दिनांक-03.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये शासनादेश सं0-34/2021-877/58-2021-28/2021, दिनांक 12.5.2021 के अनुक्रम में निम्न तालिका में उल्लिखित मानक मदों में कुल धनराशि रू0-45.77 लाख स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक/मद का नाम 2406-वानिकी तथा वन्य जीव-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-112-सार्वजनिक उद्यान-04-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क।	**प्राविधानित धनराशि**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त हेतु अवशेष (2-3)**	**वर्तमान में अवमुक्त किये जाने वाली धनराशि**
1	2	3	4	5
02.मजदूरी	50.00	37.54	12.46	6.89
12.कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.30	0.20	0.00
42.अन्य व्यय	45.00	13.96	31.04	25.02
43.सामग्री एवं सम्पूर्ति	35.00	18.90	16.10	13.86
योग.	130.50	70.70	59.80	45.77

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व प्रश्नगत योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कुल धनराशि रू0-70.70 लाख के व्यय की मदवार सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विभाग की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार माहवार फेजिंग करते हुए किया जाये तथा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययिता के संबंध में जारी शासनादेशों एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी- 1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में निहित निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(4) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकारध्केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी-1-1195/दस- 16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चत कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(7) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन एवं वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आय-व्ययक 2021-22 के बजट साहित्य में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं प्राविधानित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(10) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। विचलन एवं वित्तीय अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने पर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(11) शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह के 05 तारीख तक मासिक व्यय विवरण उपलब्ध कराया जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस- 2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-47/2021-1721(1)/58-2021 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) अधीक्षक, राजभवन, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in